।। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं विहित प्राधिकारी पंचायत दुर्ग जिला दुर्ग।।

ई–कोर्ट प्रकरण कमांक 202503100400249/वर्ष 2024–2025
पंचायत राज अधिनियम की धारा 122 अंतर्गत चुनाव याचिका
ग्राम–समोदा तहसील व जिला दुर्ग

श्रीमती भुनेश्वरी देशमुख पति सुखनंदन देशमुख,
निवासी–ग्राम समोदा, तह. व जिला–दुर्ग (छ.ग.) ..... याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. रिटर्निंग ऑफिसर, पंचायत (जनपद पंचायत दुर्ग)
द्वारा – ग्राम पंचायत समोदा जिला पंचायत, दुर्ग
जिला – दुर्ग (छ.ग.)
2. श्री अरुण गौतम आ. स्व. मिलन राम गौतम
3. श्रीमती भुनेश्वरी पति नीरज निषाद
4. श्री संजय देशमुख आ. टीकम राम देशमुख
क्र. 2 से 4 निवासी ग्राम समोदा,
पोस्ट – करंजा भिलाई, तह. व जिला–दुर्ग (छ.ग.) ..... उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता	श्री आदित्य ताम्रकार
उत्तरवादी कमांक 02 की ओर से अधिवक्ता	श्री जयप्रकाश साहू

(आदेश पारित दिनांक 05/05/2026)
(निर्वाचन याचिका अंतर्गत धारा 122 छ.ग.पंचायत राज अधिनियम 1993)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि याचिकाकर्ता श्रीमती भुनेश्वरी देशमुख पति सुखनंदन देशमुख निवासी ग्राम समोदा तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के तहत् ग्राम समोदा से सरपंच पद के प्रत्याशी थी, उसी पद हेतु उत्तरवादी कमांक 02 श्री अरूण गौतम के द्वारा भी नाम निर्देशन पत्र दिनांक 29.01.2025 को रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत दुर्ग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।उत्तरवादी कमांक 02 श्री अरूण गौतम द्वारा प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्र पर याचिकाकर्ता के पति/आपत्तिकर्ता श्री सुखनंदन देशमुख के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत दुर्ग के द्वारा संविक्षा उपरांत उत्तरवादी कमांक 02 के द्वारा प्रस्तुत नाम निर्देशनपत्र को दिनांक 04.02.2025 को विधिमान्य होने से स्वीकार किया गया व आपत्तिकर्ता सुखनंदन देशमुख द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अमान्य किया गया। आपत्तिकर्ता श्री सुखनंदन देशमुख के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति में उत्तरवादी कमांक 02 श्री अरूण गौतम के द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र मे उनके विरूद्ध दर्ज अपराधिक प्रकरणों को छुपाते हुए गलत जानकारी शपथपत्र में प्रस्तुत किये जाने पर उनका नाम निर्देशन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा अपने विनिश्चय दिनांक 04.02.2025 आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को शपथपत्र में उल्लेखित तथ्यों का विनिश्चय इस कार्यालय स्तर पर संभव नहीं होने का लेख किया गया है। याचिकाकर्ता श्रीमती भुनेश्वरी देशमुख के द्वारा उत्तरवादी कमांक 02 श्री अरूण गौतम के

अनुविभागीय अधिकारी 05/05/2026
दुर्ग (छ.ग.)

विरूद्ध उपरोक्त आधार पर चुनाव याचिका धारा 122 के तहत् दिनांक 13.03.2025 को प्रस्तुत किया गया।

2. प्रकरण में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका समयसीमा के पश्चात् प्रस्तुत होने पर प्रकरण ग्राह्यता पर तर्क हेतु रखा गया एवं याचिकाकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर तर्क श्रवण उपरांत याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत समय बाह्य प्रस्तुत किये जाने से उक्त याचिका को दिनांक 15.04.2025 को निरस्त किया गया था। याचिकाकर्ता श्रीमती भुनेश्वरी देशमुख के द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2025 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में याचिका कमांक 2411/2025 प्रस्तुत किया गया था, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.05.2025 को आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका पर उत्तरवादीगण को नोटिस जारी करते हुए नियम व प्रावधानों के अधीन निर्धारित समयावधि में याचिका का निराकरण करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग को निर्देशित किया गया, उक्त निर्देश के परिपालन में प्रकरण पुनः प्रारंभ किया गया।

3. प्रकरण पुनः प्रारंभ होने के उपरांत उत्तरवादी कमांक 02 से 04 को नोटिस जारी किया गया व उत्तरवादी कमांक 01 रिटर्निंग ऑफिसर को प्राप्त आवेदन के संबंध में जवाब/प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु ज्ञापन जारी किया गया। प्रकरण में उत्तरवादी कमांक 04 संजय देशमुख प्रकरण में उपस्थित होने के उपरांत लगातार अनुपस्थित होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। उत्तरवादी कमांक 03 श्रीमती भुनेश्वरी निषाद को नोटिस तामिली न होने पर तहसीलदार के माध्यम से पुनः नोटिस तामिल हेतु प्रेषित किया गया, नोटिस तामिली उपरांत उत्तरवादी कमांक 03 के अनुपस्थित होने पर उनके विरूद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

4. प्रकरण में रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत दुर्ग से दिनांक 04.02.2026 को प्रतिवेदन/जवाब प्रेषित किया गया।

5. प्रकरण में उत्तरवादी कमांक 02 श्री अरूण गौतम के द्वारा पुनः इस न्यायालय में दिनांक 13/10/2025 को प्रारंभिक आपत्ति प्रस्तुत की गई,जिसमें आपत्तिकर्ता के द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका को नाम निर्देशन पत्र की स्कूटनी किये जाने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर याचिका प्रस्तुत नहीं किये जाने व नाम निर्देशन पत्र व शपथपत्र को चुनौती नहीं दिये जाने से याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया, उक्त आपत्ति पर याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 13.11.2025 को जवाब प्रस्तुत किया गया व प्रकरण में उभयपक्षों की ओर से अधिवक्ता महोदय द्वारा दिनांक 08.12.2025 को प्रारंभिक आपत्ति पर मौखिक तर्क किया गया, तर्क श्रवण उपरांत उक्त आवेदन पर दिनांक 12.01.2026 को आदेश पारित किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका समय सीमा बाह्य होने के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2025 के परिपालन में प्रकरण में पुनः सुनवाई किये जाने से याचिकाकर्ता द्वारा उक्त बिंदु को निरस्त करते हुए प्रारंभिक आपत्ति में उल्लेखित तथ्यों का निराकरण अंतिम आदेश में एकसाथ किया जावेगा लेख करते हुए प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत किया गया।

6. याचिकाकर्ता के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के याचिका क्रमांक डब्लू.पी.सी 591/2026 में प्रस्तुत किया गया , जिसमें अधोहस्ताक्षरकर्ता को व्यक्तिगत उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 13.02.2026 को उपस्थित होने के दौरान

अनुविभागीय अधिकारी 13/02/26
दुर्ग (छ.ग.)

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2026 को आदेश पारित करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण का निराकरण पूर्व याचिका माननीय उच्च न्यायालय के याचिका कमांक 2411/2025 में पारित आदेश दिनांक 09.05.2025 के परिपालन में 02 माह के भीतर किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

7. प्रकरण में उत्तरवादी क्रमांक 02 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित दिनांक 19.02.2026 को उत्तरवादी क्रमांक 02 के द्वारा जवाब प्रस्तुत न करने पर उनके जवाब का अवसर समाप्त किया जा चुका था, किंतु उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिसे स्वीकार किये जाने पर प्रकरण के निराकरण में कोई विपरीत प्रभाव नहीं होना है, अतएव उक्त जवाब ग्राह्य किया जाता है ।

8. प्रकरण में याचिकाकर्ता श्रीमंती भुनेश्वरी देशमुख पति श्री सुखनंदन देशमुख निवासी ग्राम समोदा तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पंचायत समोदा के सरपंच पद हेतु प्रस्तुत याचिका एवं माननीय उच्च न्यायालय के याचिका डब्लू.पी.सी कमांक 2411/2025 में पारित आदेश दिनांक 09.05.2025 एवं याचिका डब्लू.पी.सी क्रमांक 591/2026 में पारित आदेश दिनांक 13.02.2026 के परिपालन में याचिका के निराकरण हेतु उभयपक्षों की ओर से प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर निम्नानुसार वाद बिंदु दिनांक 23.02.2026 को निर्धारित किये गये –

1. क्या उत्तरवादी क्रमांक 02 (श्री अरूण गौतम) ने अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथपत्र में जिला न्यायालय में लंबित अपने विरूद्ध आपराधिक प्रकरण की जानकारी छिपाई गई है ?
2. क्या उत्तरवादी क्रमांक 02 (श्री अरूण गौतम) द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथपत्र में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर "झूठा" है और क्या वह छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 31(क) के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले शपथपत्र में सत्य जानकारी देने के वैधानिक दायित्व का उल्लंघन किया है ?
3. क्या रिटर्निंग ऑफिसर (उत्तरवादी क्रमांक 01) द्वारा याचिकाकर्ता की लिखित आपत्ति और साक्ष्यों (न्यायालयीन दस्तावेजों) को नजर अंदाज कर नाम निर्देशन पत्र स्वीकार करना नियम विरूद्ध था ?
4. क्या उत्तरवादी क्रमांक 02 (श्री अरूण गौतम) द्वारा दी गई असत्य जानकारी के कारण छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 122 के तहत दिनांक 17.02.2025 को सम्पन्न चुनाव और 18.02.2025 को घोषित चुनाव परिणाम को शून्य (Void) घोषित किया जाना चाहिए ?
5. क्या निर्वाचन परिणाम शून्य घोषित होने की स्थिति में याचिकाकर्ता को सरपंच पद हेतु विजयी घोषित किये जाने हेतु कोई वैधानिक आधार है ?

9. प्रकरण में उत्तरवादी क्रमांक 02 श्री अरूण गौतम की ओर से आवेदन पत्र वास्ते अतिरिक्त वादबिंदु बनाये जाने अंतर्गत आदेश 14 नियम 05 व्य. प्र. सं प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त वाद बिंदु का विवरण निम्नानुसार है–

क/ क्या याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत चुनाव याचिका छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 122 (2) में चुनाव याचिका प्रस्तुत करने हेतु विहित नियत समयावधी में पश्चात् प्रस्तुत किया गया है ?

ख/ यदि चुनाव याचिका नियम समयावधि के बाद प्रस्तुत किया गया है, तो उसका प्रभाव ?

उपखण्ड अधिकारी (रा.)
दुर्ग (छ.ग.)

उत्तरवादी क्रमांक 02 के द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन की प्रति याचिकाकर्ता को प्रदाय की गई, जिस पर उनके द्वारा मौखिक तर्क करते हुए आपत्ति की गई तथा उपरोक्त संबंध में उभयपक्षों के अधिवक्ता द्वारा मौखिक तर्क किया गया, का श्रवण किया। उभयपक्षों के तर्क श्रवण उपरांत उत्तरवादी क्रमांक 02 की ओर से उक्त आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा उत्तरवादी क्रमांक 02 के द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद बिंदु को पूर्व पेशी दिनांक 23.02.2026 को निर्धारित वाद विंदु में शामिल किया गया।

10. प्रकरण में पूर्व में दिनांक 23.02.2026 को निर्धारित वादबिंदु में उत्तरवादी क्रमांक 02 श्री अरूण गौतम की ओर से प्रस्तुत अन्य वादबिंदु को स्वीकार किये जाने से उक्त वाद बिंदु को शामिल करते हुए प्रकरण उभयपक्षों के साक्ष्य हेतु अंतिम रूप से निम्नानुसार वाद बिंदु निर्धारित किये गये :–

1. क्या उत्तरवादी क्रमांक 02 (श्री अरूण गौतम) ने अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथपत्र में जिला न्यायालय में लंबित अपने विरूद्ध आपराधिक प्रकरण की जानकारी छिपाई गई है ?
2. क्या उत्तरवादी क्रमांक 02 (श्री अरूण गौतम) द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथपत्र में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर झूठा है और क्या वह छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 31(क) के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले शपथपत्र में सत्य जानकारी देने के वैधानिक दायित्व का उल्लंघन किया है ?
3. क्या रिटर्निंग ऑफिसर (उत्तरवादी क्रमांक 01) द्वारा याचिकाकर्ता की लिखित आपत्ति और साक्ष्यों (न्यायालयीन दस्तावेजों) को नजर अंदाज कर नाम निर्देशन पत्र स्वीकार करना नियम विरूद्ध था ?
4. क्या उत्तरवादी क्रमांक 02 (श्री अरूण गौतम) द्वारा दी गई असत्य जानकारी के कारण छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 122 के तहत दिनांक 17.02.2025 को संपन्न चुनाव और 18.02.2025 को घोषित चुनाव परिणाम को शून्य (Void) घोषित किया जाना चाहिए ?
5. क्या निर्वाचन परिणाम शून्य घोषित होने की स्थिति में याचिकाकर्ता को सरपंच पद हेतु विजयी घोषित किये जाने हेतु कोई वैधानिक आधार है ?
6. क्या याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत चुनाव याचिका छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 122 (2) में चुनाव याचिका प्रस्तुत करने हेतु विहित नियत समयावधी में पश्चात् प्रस्तुत किया गया है ?
6. यदि चुनाव याचिका नियम समयावधि के बाद प्रस्तुत किया गया है, तो उसका प्रभाव ?

11. प्रकरण में याचिकाकर्ता श्रीमती भुनेश्वरी देशमुख एवं साक्षी के रूप में श्री सुखनंदन देशमुख की ओर से शपथपूर्वक कथन अंतर्गत आदेश 18 नियम 04 व्य.प्र.सं प्रस्तुत किया गया, की छायाप्रति उत्तरवादी क्रमांक 02 के अधिवक्ता को दी गई, उनके द्वारा साक्षीगण का प्रतिपरीक्षण किया गया।

12. उत्तरवादी क्रमांक 02 श्री अरूण गौतम के द्वारा उनके साक्ष्य के दौरान स्वयं का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कराने का मौखिक कथन किया गया एवं अपने पक्ष समर्थन में साक्षीगण गिरीश देशमुख एवं निरज निषाद की ओर से शपथपूर्वक कथन अंतर्गत आदेश 18 नियम 04 व्य.प्र.सं प्रस्तुत किया गया, की छायाप्रति याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को दी गई, उनके द्वारा साक्षियों का प्रतिपरीक्षण किया गया।

13. प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत करने पर याचिकाकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक तर्क किया गया व उत्तरवादी कमांक 02 की ओर से अधिवक्ता द्वारा तर्क हेतु समय प्रदाय किये जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण आदेश हेतु नियत किया जाकर

अनुविभागीय अधिकारी (रा.,

प्रकरण उभयपक्षों को आदेश तिथि के 03 दिवस पूर्व तक लिखित तर्क प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किये जाने पर उभयपक्षों की ओर से उनके अधिवक्ता महोदय द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया।

14. प्रकरण में याचिकाकर्ता श्रीमती भुनेश्वरी देशमुख की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्क में मुख्य रूप से लेख किया गया कि छ.ग. निर्वाचन आयोग द्वारा छ.ग. राज्य स्तरीय पंचायत चुनाव हेतु वर्ष 2025 में विधिवत सूचना जारी किया गया था इसके अनुसार 05 वर्ष के लिए सभी ग्राम पंचायत के सरपंच व अन्य पदो पर निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर प्रक्रिया प्रारंभ की गयी थी। अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत समोदा विकासखंड, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) ग्राम पंचायत चुनाव में सरपंच पद हेतु नामांकन फार्म याचिकाकर्ता उत्तरवादी क्रं. 02, 03 एवं 04 के द्वारा जमा किया गया था साथ ही गिरिश कुमार देशमुख, रीना अरूण गौतम एवं सुखनंदन देशमुख द्वारा भी नामांकन फार्म जमा किया गया उक्त तीनों प्रत्याशियों ने स्कूटनी दिनांक 04.02.2025 के पश्चात् अपना नामांकन वापस ले लिया गया, इस प्रकार याचिकाकर्ता उत्तरवादी क्रं. 02 अरूण गौतम, उत्तरवादी क्रं. 03 भुनेश्वरी निषाद एवं संजय देशमुख सरपंच पद के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े तथा दिनांक 04.02.2025 को नाम निर्देशन पत्र की स्कूटनी किया जाना था, इसी दिनांक को अभ्यर्थी सुखनंदन देशमुख के द्वारा उत्तरवादी क्रं. 02 अरूण गौतम के द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ झूठा शपथ–पत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण अरूण गौतम का नाम निर्देशन पत्र निरस्त किये जाने बावत् जिला न्यायालय दुर्ग में उत्तरवादी क्रं. 02 के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण थाना पुलगांव के अपराध क्रमांक 547/2019 एवं थाना पुलगांव सहित अपराध क्रमांक 381/15 के लंबित होने के दस्तावेज सहित लिखित आपत्ति पेश किया साथ ही यह भी आपत्ति किया गया था कि उत्तवादी क्रं. 02 ने अपनी पत्नि अन्नू गौतम जो पूर्व सरपंच थी के विरूद्ध रेत रायल्टी की राशि जमा न कर गबन किये जाने तथा उक्त राशि जमा न किये जाने के कारण एस.डी.ओ. न्यायालय द्वारा जेल भेजे जाने की कार्यवाही की गयी थी के संबंध मे दस्तावेज भी पेश किया था जिसे भी अनदेखा उत्तरवादी क्रं. 01 ने प्ररूप –04–ख–01 (नियम 31–क) के तहत अभ्यर्थी अरूण गौतम के द्वारा किये गये शपथपत्र का बारीकी से अवलोकन किये बिना ही तथा शपथ–पत्र में उल्लेखित आवश्यक तथ्यो का भी संज्ञान लिए बिना आपत्तिकर्ता के आपत्ति को विधि विरूद्ध विनिश्चय कर निरस्त कर दिया गया । स्कूटनी दिनांक 04.02.2025 के पश्चात् अभ्यर्थी सुखनंदन देशमुख, रीना अरूण गौतम एवं गिरिश कुमार देशमुख ने अपना नाम सरपंच पद के प्रत्याशी से अपना नाम वापस ले लिया है। साथ ही धारा 122 में कोई भी व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का मतदाता हो वह किसी भी निर्वाचित पंच या सरपंच के विरूद्ध चुनाव याचिका प्रस्तुत करने के लिए सक्षम व्यक्ति होता है। इस प्रकरण में याचिकाकर्ता स्वयं सरपंच पद की प्रत्याशी थी, इस कारण से भी उनके द्वारा चुनाव याचिका जिन–जिन व्यक्तियों ने सरपंच पद के अभ्यर्थी थे उन्हे व रिटर्निंग ऑफिसर को पक्षकार बनाया है दिनांक–17.02.2026 सरपंच पद के लिए मतदान पूर्ण हुआ तत्पश्चात् मतगणना उपरांत उत्तरवादी क्रं. 02 को विजयी घोषित कर दिनांक 19.02.2025 को रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) द्वारा प्ररूप– 21 में सरपंच के निर्वाचन की विवरणी के तहत अरूण गौतम को सम्यक रूप से सरपंच निर्वाचित होने के तथा प्ररूप–25 के तहत अरूण गौतम को निर्वाचन का प्रमाण पत्र दिया गया है। नियम 90 के तहत निर्वाचन अधिसूचित करने की तिथी निर्वाचन आयोग द्वारा बतायी गयी है वह इस प्रकार है –

क) ग्राम पंचायत के पंच और सरपंच के प्रत्येक निर्वाचन को संबंधित ग्राम पंचायत के तथा उस जनपद पंचायत के जिसमें की ऐसी ग्राम पंचायत स्थित है के कार्यालय में सूचना फलक पर प्ररूप 26–क में सूचना चिपकाकर की जायेगी, इस प्रकार दिनांक 19.02.2025 से ही सरपंच पद निर्वाचित होने की अधिसूचना जारी हुआ जिसके 30 दिनों के भीतर अर्थात दिनांक 13.03.2025 को याचिकाकर्ता ने चुनाव याचिका समयावधि पर ही पेश कर दिया था इस कारण से याचिकाकर्ता ने वाद बिन्दू क्रमांक 5 के पश्चात् क एवं ख का वाद बिन्दु दिनांक 27.02.2026 को निर्मित किया गया

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
दुर्ग (छ.ग.)

है इसके अनुसार चुनाव याचिका छ.ग. पंचायत राज्य अधिनियम की धारा 122 (2) के तहत चुनाव याचिका समयावधि में प्रस्तुत किया गया है।

याचिकाकर्ता एवं उसके साक्षी सुखनंदन देशमुख के द्वारा पेश शपथपूर्वक कथंन आदेश 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. में दोनो साक्षियों ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उत्तरवादी क्रं. अरूण गौतम के नाम निर्देशन पत्र के साथ शपथपत्र नोटरी से करा कर पेश किया गया है। प्ररूप –04–ख–01 (नियम 31–क) के शपथपत्र में उत्तरवादी क्रं. 02 अपने आपराधिक प्रकरणो की जानकारी वाले कॉलम में सभी ने गलत (X) का निशान लगा कर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश किया था। अभ्यर्थी सुखनंदन देशमुख ने लिखित में आपत्ति कर उक्त अपराध क्रमांक की कॉपी तथा गिरफ्तारी की कॉपी एवं अरूण गौतम की पत्नि अन्नू गौतम के शासकीय दायित्वों के संबंध में दस्तावेज पेश किया है जिसका खण्डन उक्त दोनो साक्षियों के प्रतिपरीक्षण के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा नही किया गया है जिसके कारण यह प्रमाणित है कि उत्तरवादी क्रं. 02 ने शपथपत्र में अपने विरूद्ध लंबित अपराधिक प्रकरणों को स्पष्ट रूप से छुपा दिया है तथा जिन प्रकरण में यदि दोषमुक्त हुआ है तो उसकी भी जानकारी को छुपाया है। साथ ही नियम 31 (क) में स्पष्ट रूप से यह दिया गया है कि यदि पत्नि के विरूद्ध शासकीय देयता शेष हो तो उसकी भी जानकारी उत्तरवादी क्रं. 02 ने छिपाया है। जिसे भी रिटर्निंग ऑफिसर ने अनदेखा किया है। इस प्रकरण मे उत्तरवादी क्रं. 02 को दिनांक 09.04.2026 को अपना एवं अपने गवाहों को बचाव साक्षी के रूप में पेश किया जाना था किन्तु इसी दिनांक को उत्तरवादी क्रं. 02 एवं उनके अधिवक्ता द्वारा उत्तरवादी क्रं. 02 का साक्ष्य नही कराने का मौखिक कथन किया है, इससे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि उत्तरवादी क्रं. 02 ने अपने बचाव के अवसर को स्वयं समाप्त कर लिया है क्योंकि यदि वह स्वयं न्यायालय के सामने उपस्थित होकर अपना स्वयं का साक्ष्य कराता तो निश्चित रूप से प्रतिपरीक्षण के दौरान उत्तरवादी क्रं. 02 के द्वारा अपने विरुद्ध अपराधिक प्रकरण के जिला न्यायालय में लंबित होने से दस्तावेजी साक्ष्य होने के कारण इंकार नही कर सकता था साथ ही अपनी पत्नि अन्नू गौतम जो पूर्व सरपंच रही है के विरूद्ध शासकीय देयता पूर्ण नही कर पाने के कारण जेल में निरूद्ध रहने से भी इंकार नही कर सकता, जिससे स्पष्ट है कि उत्तरवादी क्रं. 02 ने जानबूझ कर शपथपत्र में अपने विरूद्ध लंबित अपराधिक प्रकरण को छिपाया है,इस प्रकार दिनांक 23.02.2026 को निर्मित किये गये वादबिन्दु 01, 02 एवं 03 प्रमाणित होता है।

उत्तरवादी क्रं. 02 ने अपने स्वयं का साक्ष्य न कराकर गिरिश देशमुख एवं नीरज निषाद का शपथपूर्वक कथन पेश किया गया है जिसमें दोनों ने अपने शपथपूर्वक बयान में सिर्फ असत्य एवं बनावटी आपत्ति होने एवं कोई सबूत नही पाये जाने के कारण आपत्ति को रिटर्निंग आफिसर द्वारा निरस्त किये जाने का कथन किया है, उक्त दोनो साक्षियो को प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने पर प्रदर्श पी 4 के दस्तावेज क्रं. 12 के गिरफ्तारी पत्रक को दिखाये व पढाये जाने पर तथा अरूण गौतम के विरूद्ध लगे धारा 147, 427, 435, 294, भा.द.वि लिखा होना तथा चस्पा फोटो को अरूण गौतम का होना पहचान किया। इन साक्षियो ने गांव में किसी घटना के होने या नही होने के संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी नही होना बताया जिससे यह स्पष्ट होता है कि इन दोनो साक्षियो को किसी भी प्रकार से कोई जानकारी नही हुआ है। वाद बिन्दू क्रं. 04 याचिकाकर्ता द्वारा यह स्पष्ट प्रमाणित कर दिया गया है कि उत्तरवादी क्रं. 02 (अरूण गौतम) के द्वारा अपने नाम निर्देशन के साथ संलग्न शपथ पत्र में दी गयी कंडिकाओं अपराधिक प्रकरण को छुपाया है तथा अपनी पत्नि के विरूद्ध शासकीय देयता को भी छिपाया है,इस कारण से दिनांक 17.02.2025 को संपन्न हुए चुनाव एवं दिनांक 19.02.2025 को घोषित चुनाव परिणाम को शून्य घोषित किया जाना चाहिए तथा याचिकाकर्ता जो मतगणना के दौरान दूसरे स्थान पर थी उसे सरपंच पद हेतु विजयी घोषित किये जाने का वैधानिक अधिकार भी स्पष्ट रूप से है। इस प्रकार उत्तरवादी क्रं. 02 के द्वारा अपने नाम

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
दुर्ग (छ.ग.)

निर्देशन पत्र के साथ संलग्न शपथपत्र कंडिका 02, 03 एवं 04 के संबंध में कोई जानकारी न देकर तथा अपनी पत्नि (अन्नू गौतम) के विभिन्न शासकीय देयताओ का उल्लेख न कर उत्तरवादी क्रं. 02 ने भ्रष्ट आचरण किया है जिसका खण्डन उत्तरवादी क्र. 02 द्वारा बिल्कुल ही नही किया है तथा याचिकाकर्ता ने अपने व अपने साक्षी व दस्तावेज के माध्यम से प्रमाणित किया है जो अखण्डनीय रहा है।

उपरोक्त तर्कों के आधार पर याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता के द्वारा याचिकाकर्ता एवं उत्तरवादी क्रं. 02 के साक्षियों के परीक्षण प्रतिपरीक्षण तथा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत चुनाव याचिका को स्वीकार कर चुनाव दिनांक 17.02.2025 व दिनांक 18.02.2025 को घोषित चुनाव परिणाम को शून्य घोषित कर याचिकाकर्ता को सरपंच के पद पर निर्वाचित घोषित किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करे ।

15. प्रकरण में उत्तरवादी कमांक 02 श्री अरूण गौतम की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्क में मुख्य रूप से लेख किया गया कि याचिकाकर्ता श्रीमती भुनेश्वरी देशमुख द्वारा याचिका प्रस्तुत कर उत्तरवादी क्रमांक 02 अरूण गौतम के ऊपर झूठा एवं मनगढंत आरोप लगाया गया है कि, ग्राम पंचायत समोदा तहसील व जिला दुर्ग के वर्ष 2025 में सम्पन्न सरपंच पद के निर्वाचन में दिनांक 04.02.2025 को नाम निर्देशन पत्र की स्कूटनी के समय सुखनंदन देशमुख के द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 02 अरूण गौतम के द्वारा नाम अपने निर्देशनपत्र के साथ झूठा शपथपत्र प्रस्तुत किये जाने का आरोप लगा कर उनके नामनिर्देशन पत्र को निरस्त करने बाबत आपत्ति प्रस्तुत किया गया था, उक्त आपत्ति को उत्तरवादी क्रमांक 01 रिटर्निंग आफिसर के द्वारा अमान्य करते हुए निरस्त कर दिया गया है तथा उक्त याचिका का उत्तरवादी कमांक 02 के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है कि, याचिका में उत्तरवादी कमांक 02 के उपर लगाये गये समस्त आरोप असत्य एवं बनावटी होने के कारण स्पष्ट रूप से इंकार है। उत्तरवादी कमांक 02 के द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ झूठा शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था इस कारण सुखनंदन देशमुख द्वारा किये गये आपत्ति को आधारहीन पाते हुए उत्तरवादी कमांक 01 रिटर्निंग आफिसर के द्वारा आपत्ति को निरस्त किया गया था। रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा दिनांक 04.02.2025 को समुचित आधार पर विधिवत तरीके से आपत्ति का निराकरण किया जा चुका है, नाम निर्देशन पत्र, शपथपत्र एवं दस्तावेजों का समुचित जांच पड़ताल करने के बाद ही उत्तरवादी कमांक 01 के द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों एवं विधि का पालन करते हुए संवीक्षा की गयी थी, जिसे किसी भी प्रकार से चुनाव दूषित या प्रभावित नहीं हुआ है। इस कारण श्रीमती भुनेश्वरी देखमुख द्वारा प्रस्तुत इस याचिका का अब कोई औचित्य नहीं है। वैसे भी याचिकाकर्ता भुनेश्वरी देशमुख के द्वारा दिनांक 04.02.2025 को स्कूटनी के दौरान कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस कारण उन्हे निर्वाचन अधिकारी उत्तरवादी कमांक 01 द्वारा दिनांक 04.02.2025 को किये गये विनिश्चय को याचिका प्रस्तुत कर चुनौती देने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत समोदा के सरपंच पद का निर्वाचन निष्पक्ष एवं विधि अनुसार संपादित हुआ है, उक्त चुनाव को उत्तरवादी कमांक 02 अरूण गौतम के द्वारा किसी भी प्रकार से प्रभावित एवं दूषित नहीं किया गया है। वैसे भी याचिकाकर्ता के द्वारा अपने याचिका में यह नहीं बताया है ग्राम समोदा के सरपंच पद का चुनाव कैसे प्रभावित हुआ है, और किसके द्वारा किस रीति से प्रभावित किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 122 की उपधारा 02 में विहित नियत समयावधि 30 दिन के बाद प्रस्तुत किया गया है, इस कारण याचिका पोषणीय नहीं है,क्योंकि दिनांक 04.02.2025 को नाम निर्देशनपत्र की स्क्रूटनी किया गया,जिसमें सुखनंदन देशमुख के द्वारा उत्तरवादी कमांक 02 के नाम निर्देशन पत्र पर आपत्ति किया गया था, जिसका निराकरण उसी दिन दिनांक 04.02.2025 को रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा कर दिया गया था । अतः

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
दुर्ग (छ.ग.)

रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा किये गये निराकरण से याचिकाकर्ता असंतुष्ट थी तो उन्हे दिनांक 04.02.2025 से 30 दिवस के भीतर अर्थात दिनांक 04.03.2025 तक इस न्यायालय में निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर देना था, किन्तु ऐसा ना कर उनके द्वारा दिनांक 13.03.2025 को अर्थात 10 दिन विलंब से निर्वाचन याचिका प्रस्तुत किया गया है, जो कि मियाद बाह्य है। इसी तरह याचिकाकर्ता श्रीमती भुनेश्वरी के द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया था इस कारण रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा दिनांक 04.02.2025 को किये गये विनिश्चिय के विरूध उन्हे निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है । उपरोक्त कारणों से याचिका निरस्त किया जाये। इस संबंध में न्यायदृष्टांत सियावती बनाम फूलवती 2009 (1) एम.पी.एच.टी. 301 (म.प्र.) अवलोकनीय है जिसमें अभिनिर्धारित किया गया कि, चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन पत्र को अनुचित तौर पर स्वीकार करना चुनाव को शून्य घोषित करने का आधार नहीं हो सकता है, जब तक कि यह प्रमाणित नहीं किया जाता है कि इस कारण से चुनाव का परिणाम सारवान तौर पर प्रभावित हुआ था।

माननीय न्यायालय के द्वारा कुल 06 वाद बिन्दु निर्मित किया गया है। उपरोक्त वाद बिन्दुओं को तथा उत्तरवादी कमांक 01 एवं 02 के उपर लगाये गये आरोप को समुचित दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य द्वारा संदेह से परे साबित करने का भार एकमात्र याचिकाकर्ता पर था जिसे संदेह से परे साबित करने में याचिकाकर्ता असफल रही है,किसी भी आरोप को नासाबित करने का भार अनावेदक/आरोपी पर नहीं डाला जा सकता है,क्योंकि यह/विधि द्वारा तथा वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धांत है कि लगाये गये आरोप को साबित करने का भार सदैव एकमात्र आवेदक एवं अभियोजन पर ही होता है तथा संदेह का लाभ सदैव अनावेदक एवं आरोपी को दिया जाता है। वादबिन्दु कमांक 01, 02, 03, 04 व 05 एक दुसरे से परस्पर संबंधित होने के कारण उसके संबंध में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत है – याचिकाकर्ता श्रीमती भुनेश्वरी देशमुख के द्वारा प्रकरण में ऐसा कोई भी प्रमाणित (सत्यप्रतिलिपि) दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे संदेह से परे यह साबित होता हो कि उत्तरवादी कमांक 02 के द्वारा नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले शपथपत्र में उत्तरवादी कमांक 02 के द्वारा किसी भी तथ्य को छिपाया गया हो तथा उत्तरवादी कमांक 02 को किसी भी अपराधिक मामले में पूर्व में सजा हुई हो, या उन्हे किसी भी अपराधिक मामले में पूर्व में निर्मुक्त या दोषमुक्त किया गया हो अथवा नामनिर्देशन पत्र दाखिल करने के 06 माह पूर्व उन्हें किसी भी अपराधिक प्रकरण में अपराधी बनाया गया हो जिसमें न्यायालय द्वारा चार्ज लगाया गया हो, जिसमें दो या दो वर्ष से अधिक की सजा दी जा सकती हो। उत्तरवादी कमांक 01 रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा स्कूटनी के दौरान आपत्तिकर्ता सुखनंदन देशमुख को आरोप को प्रमाणित करने पर्याप्त समय दिया गया था किन्तु सुखनंदन देखमुख के द्वारा उत्तरवादी कमांक 02 पर लगाये गये आरोप को संदेह से परे साबित करने में असफल होने के कारण ही आरोप को निरस्त किया गया था। इसी तरह याचिकाकर्ता श्रीमती भुनेश्वरी देशमुख के द्वारा भी प्रकरण में ऐसा कोई भी प्रमाणित दस्तावेज सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही आरोप को साबित करने किसी स्वतंत्र साक्षी का न्यायालय में कथन कराया गया है। प्रकरण में जितने भी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है, वे सभी छायाप्रति (फोटोकापी) में है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से कूटरचना कर फर्जी तरीके से तैयार कर सकता है। कोई व्यक्ति फर्जी व कूटरचित दस्तावेज किसी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है, उक्त फर्जी व कूटरचित दस्तावेज की छायाप्रति भी सूचना के अधिकार के तहत प्रदान कर दिया जाता है इसी तरह जो दस्तावेज फोटोकापी में है उसकी प्रतिलिपि सूचना के अधिकार में प्रदान कर दिया जाता है,अर्थात सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त किये गये दस्तावेज मूल दस्तावेज से निर्मित किये गये उसकी सत्यप्रतिलिपि नहीं होती है, बल्कि फर्जी व कुटरचित दस्तावेज यदि किसी ने पूर्व में प्रस्तुत किया है, उसकी भी प्रतिलिपि दे दी जाती है। इस कारण

अनुविभागीय अधिकारी (रा.),
दुर्ग (छ.ग.)

सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेजों को मूल दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपि नहीं माना जाता है, बल्कि सत्यप्रतिलिपि तैयार करने का विधि में अलग से प्रावधान है जैसे की छ.ग.भू राजस्व संहिता में उल्लेखित है। अतः प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज विधि अनुरूप मूल दस्तावेजों से तैयार किये गये सत्यप्रतिलिपि नहीं है, बल्कि फर्जी व कूटरचित दस्तावेज है, इस कारण याचिकाकर्ता द्वारा एवं सुखनंदन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। इसी कारण रिटर्निंग आफिसर के द्वारा भी आरोप को निरस्त किया गया था। याचिकाकर्ता श्रीमती भुनेश्वरी देशमुख ने अपने प्रतिपरीक्षण कंडिका 01 में स्वीकार किया है कि सरपंच के निर्वाचन में उन्हें कुल 741 मत प्राप्त हुए थे तथा उत्तरवादी कमांक 02 अरूण गौतम को कुल 869 मत प्राप्त हुए थे इस तरह अरूण गौतम 128 मतों से निर्वाचित हुए है। यह कहना सही है कि सरपंच का निर्वाचन ग्राम में शांतिपूर्वक हुआ है। यह कहना सही है कि स्कूटनी दिनांक से लेकर मतगणना दिनांक तक अरूण गौतम के द्वारा किसी प्रकार से किसी के साथ मारपीट, गाली गलौच, धमकी दिया हो ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गयी है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–1 (पृष्ठ कमांक 01 से 03) प्रदर्श पी–2 (पृष्ठ क्रमांक 04 से 06) प्रदर्श पी–3 एवं प्रदर्श पी–4 (पृष्ठ क्रमांक 08 से 16) प्रदर्श पी–05 सत्यप्रतिलिपि नहीं है। प्रतिपरीक्षण कंडिका 02 में स्वीकार करती है कि, यह कहना सही है कि मेरे द्वारा उत्तरवादी कमांक 02 अरूण गौतम के नाम निर्देशन पत्र पर स्क्रूटनी के दौरान कोई आपत्ति नहीं की गई थी। यह कहना सही है कि दिनांक 04.02.2025 को अरूण गौतम के नाम निर्देशन पत्र स्वीकार होने के उपरांत मेरे द्वारा दिनांक 13.03.2025 को इस न्यायालय में चुनाव याचिका प्रस्तुत किया गया है, कहना सही है कि स्क्रूटनी के एक माह 10 दिन पश्चात चुनाव याचिका प्रस्तुत किया गया है। मुझे इस बात की जानकारी है कि निर्वाचन याचिका 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। यह कहना सही है कि उत्तरवादी कमांक 02 अरूण गौतम को दो वर्ष या दो वर्ष से अधिक की कारावास की सजा नहीं हुई है। यह कहना सही है कि नाम निर्देशनपत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले शपथपत्र में अभ्यर्थी के द्वारा अपनी पत्नि की देयता के संबंध में विवरण दिये जाने आवश्यक नहीं है तथा इस संबंध में कोई कॉलम नहीं है। प्रतिपरीक्षण कंडिका 03 यह कहना सही है कि मैं नाम निर्देशन पत्र के स्कूटनी के दौरान उपस्थित नहीं थी। यह कहना सही है कि हमारे ग्राम समोदा में सरपंच का चुनाव निष्पक्ष एवं विधि अनुसार हुआ है। यह कहना सही है कि मेरे अलावा गांव के किसी भी व्यक्ति के द्वारा अरूण गौतम के विरूध शिकायत नहीं किया गया है, मैं दो बार सरपंच का चुनाव लड़ चुकी हूं तथा एक बार सरपंच रह चुकी हूं । अरूण गौतम की पत्नी अन्नू गौतम दो बार सरपंच रह चुकी है। मेरे पति सुखनंदन देखमुख भाजपा के मंडल महामंत्री है। जानकारी नहीं है कि अरूण गौतम कांग्रेस समर्थित है। यह कहना सही है कि हम दोनों परिवार के मध्य राजनैतिक मतभेद है। मेरे सरपंच कार्यकाल के दौरान अरूण गौतम के द्वारा मुझ पर मोबाईल वाट्सएप के जरिये पैसे गबन करने का आरोप लगाया गया था। प्रतिपरीक्षण कंडिका 05 यह कहना सही है कि मेरे निर्वाचन याचिका एवं शपथपूर्वक बयान मुख्य कथन में चुनाव कैसे प्रभावित हुआ है, इस बात का कोई उल्लेख नहीं है। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 02 पर चुनाव को प्रभावित करने संबंधी कोई आरोप नहीं लगाया गया है। इसी तरह याचिकाकर्ता के साक्षी उनके पति सुखनंदन देशमुख के द्वारा भी अपने प्रतिपरीक्षण कंडिका 01 में स्वीकार किया गया है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–4 आवेदन के साथ कोई भी मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–4 आवेदन के साथ उत्तरवादी क्रमांक 02 अरूण गौतम को किसी भी मामले में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया हो, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। आवेदनपत्र में इस बात का भी उल्लेख नहीं है कि न्यायालय द्वारा उत्तरवादी कमांक 02 अरूण गौतम के विरूध किसी मामले में आरोप तय की गयी हो। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा आदेश दिनांक 04.02.2025 के विरूद्ध किसी भी अधिकारी अथवा न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन या चुनाव याचिका प्रस्तुत नहीं

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
दुर्ग (छ.ग.)

किया गया है । प्रतिपरीक्षण कंडिका 02 यह कहना सही है कि दिनांक 04.02.2025 के बाद से आज दिनांक तक मैने उत्तरवादी कमांक 02 अरूण गौतम के विरूध सरपंच के चुनाव को प्रभावित करने संबंधी कोई भी शिकायत प्रस्तुत नहीं किया हूँ । उपरोक्त तथ्यों एवं याचिकाकर्ता व उनके पति द्वारा प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किये गये तथ्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि याचिकाकर्ता के द्वारा उपरोक्त सभी वादप्रश्नों को संदेह से परे न्यायालय में प्रमाणित करने में असफल रही है। इस कारण उपरोक्त वादप्रश्न क्रमांक 01,02,03,04,05 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं में दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

वादप्रश्न क्रमांक 06 के संबंध में तर्क किया गया कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 122 की उपधारा 02 में निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने हेतु विहित समयावधि 30 दिन नियत किया गया है, जबकि याचिकाकर्ता के द्वारा यह याचिका नियत समयावधी के बाहर प्रस्तुत किया गया है, जो कि संदेह से परे प्रमाणित हो चुका है। इस संबंध में याचिकाकर्ता श्रीमती भुनेश्वरी देशमुख के द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 02 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया गया है कि यह कहना सही है कि दिनांक 04.02.2025 को अरूण गौतम के नाम निर्देशन पत्र स्वीकार होने के उपरांत मेरे द्वारा दिनांक 13.03. 2025 को इस न्यायालय में चुनाव याचिका प्रस्तुत किया गया है, यह कहना याचिका सही है कि स्कूटनी के एक माह 10 दिन पश्चात चुनाव प्रस्तुत किया गया है। मुझे इस बात की जानकारी है कि निर्वाचन याचिका 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। अतः इस वादप्रश्न का निष्कर्ष हॉ में दिया जाकर याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत चुनाव याचिका समयावधी के पश्चात प्रस्तुत होने से चुनाव याचिका निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

प्रकरण में उत्तरवादी क्रमांक 01 रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रकरण में दिनांक 04.02.2026 को प्रस्तुत जवाब भी अवलोकनीय है,जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा दिनांक 04.02.2025 को सुखनंदन देशमुख द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 02 अरूण गौतम के नामनिर्देशन पत्र पर किये गये आपत्ति का राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन करते हुए विधि अनुसार अपनी सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित कर निराकरण किया गया है,जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता न होने से याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका निरस्त किये जाने योग्य है। इसी तरह उत्तरवादी क्रमांक 02 अरूण गौतम द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षीगण गिरीश देशमुख एवं नीरज निषाद के द्वारा न्यायालय में अखंडित बयान दिया गया है कि ग्राम पंचायत समोदा के सरपंच एवं पंच पद के निर्वाचन फार्म की स्क्रूटनी दिनांक 04.02.2025 को की गयी थी, जहां पर वे भी उपस्थित थे। वहां पर सुखनंदन देखमुख के द्वारा राजनैतिक द्वेषवश अरूण गौतम के निर्वाचन फार्म के संबंध में असत्य एवं बनावटी आधार पर आपत्ति किया गया था, जिसकी विधिवत जांच पड़ताल करने के बाद किसी भी प्रकार से कोई सबूत नहीं पाये जाने के कारण रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा सुखनंदन देशमुख की आपत्ति को आधारहीन होने से निरस्त किया गया था। दिनांक 04.02.2025 के बाद हमारे ग्राम समोदा में ग्राम पंचायत का चुनाव सम्पन्न हुआ था, जिसमें गांव वालों के द्वारा अरूण गौतम को भारी मतों से सरपंच निर्वाचित किया गया है,क्योंकि अरूण गौतम साफ सुथरी छबी वाला तथा जनहित में काम करने वाला व्यक्ति है, उनके द्वारा सरपंच के चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार से अनुचित साधनों का उपयोग नहीं किया गया है और ना ही किसी मतदाता को प्रभावित या प्रताड़ित किया गया है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से तथा विधि अनुरूप सम्पन्न हुआ है। इसी कारण गांव के किसी भी मतदाता के द्वारा कोई शिकायत नहीं की गयी है, बल्कि अरूण गौतम के सरपंच निर्वाचित होने से गांव के सभी लोग खुश एवं संतुष्ट है। अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि उपरोक्त आधार पर याचिकाकर्ता की याचिका निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण में याचिकाकर्ता श्रीमती भुनेश्वरी देशमुख एवं उत्तरवादी कमांक 02 की ओर से अधिवक्ता महोदय द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क, उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्षियों का साक्ष्य/

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
दुर्ग (छ.ग.)

प्रतिपरीक्षण एवं प्रकरण में अपने पक्ष समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों का सूक्ष्मता से अवलोकन व परिशीलन किया गया है, जिसके आधार पर प्रकरण में मेरे द्वारा मुख्य रूप से निम्नानुसार तथ्य पाये गये :–

1. छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2025 में ग्राम पंचायत समोदा के सरपंच पद हेतु चुनाव आयोजित किए गए थे, जिसके तहत् ग्राम पंचायत समोदा में नाम वापसी के उपरांत अंतिम निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी के रूप में याचिकाकर्ता एवं उत्तरवादी कमांक 02 से 06 थे।
2. यह कि याचिकाकर्ता के पति श्री सुखनंदन देशमुख जो कि नाम वापसी के पूर्व स्वयं सरपंच पद के प्रत्याशी थे, के द्वारा दिनांक 04.02.2025 को नाम निर्देशन पत्र के स्कूटनी के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उत्तरवादी कमांक 02 श्री अरूण गौतम के द्वारा अपने शपथपत्र (प्ररूप–4–ख–एक) में उनके नाम पर दर्ज अपराधिक प्रकरणों की जानकारी एवं अपनी पत्नि के देयता तथा अपराधिक विवरण की जानकारी नहीं दिये जाने से उनका नामांकन निरस्त किये जाने के संबंध में लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, जिस पर उत्तरवादी कमांक 01 रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा दिनांक 04.02.2025 को नाम निर्देशन पत्र के स्वीकृति या प्रतिक्षेपित करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय में आपत्तिकर्ता श्री सुखनंदन देशमुख के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अस्वीकार करते हुए उत्तरवादी कमांक 02 का नाम निर्देशन पत्र स्वीकार कर लिया गया तथा आदेश की प्रति अभ्यर्थी एवं आपत्तिकर्ता को प्रदाय किये जाने का लेख किया गया।
3. रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा दिनांक 04.02.2025 को किये गये उक्त विनिश्चय के बाद आदेश प्राप्ति के तत्काल बाद आपत्तिकर्ता श्री सुखनंदन देशमुख को सक्षम न्यायालय में पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जाना था, किंतु उनके द्वारा ऐसा नहीं करना पाया गया।
4. ग्राम पंचायत समोदा के सरपंच पद के अन्य प्रत्याशी उत्तरवादी कमांक 03,04,05,06 के द्वारा प्रकरण में नोटिस तामिली उपरांत अनुपस्थित रहे, इस कारणवश उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई ।
5. प्रकरण में याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के सूचना के अधिकार के तहत् प्राप्त दस्तावेज व छायाप्रति होने पर उत्तरवादी कमांक 02 की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान आपत्ति दर्ज कराते हुए प्रतिपरीक्षण की कार्यवाही पूर्ण कराई गई थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार सूचना के अधिकार के तहत् प्राप्त दस्तावेज जो कि लोक दस्तावेज हैं, को जनसूचना अधिकारी के हस्ताक्षर होने व कार्यालय की मुहर लगी हो, तो उसे प्रमाणित प्रतियॉ मानी जाती हैं,चूंकि मामला चुनाव की शुचिता और शपथपत्र से जुड़ा है इसलिए तकनिकी आधार पर याचिका को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, वह भी ऐसे स्थिति में जब उक्त याचिका के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण के निराकरण समयावधि में करने हेतु निर्देशित किया गया हो।
6. उत्तरवादी कमांक 02 श्री अरूण गौतम की ओर से अधिवक्ता द्वारा याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत याचिका समयबाह्य होने से निरस्त किये जाने का निवेदन भी किया गया है, किंतु इस प्रकरण में यह उल्लेखनिय है कि उक्त आधार पर इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका को पूर्व में दिनांक 15.04.2025 को निरस्त किया जा चुका था, जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के समक्ष याचिका डब्लू.पी. सी कमांक 2411/2025 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.05.2025 को आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका का विधिवत

अनुविभागीय अधिकारी (रा.),
दुर्ग (छ.ग.)

निराकरण करने हेतु निर्देशित किये जाने पर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की गई। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में गुणदोष के आधार पर प्रकरण निराकृत करने हेतु निर्देशित किया गया है,तब कि स्थिति में 30 दिनों की समय सीमा स्वमेव समाप्त हो गई है, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश परिसीमा पर प्रभावी माना जावेगा।

7. प्रकरण में याचिकाकर्ता की ओर से उत्तरवादी कमांक 02 श्री अरूण गौतम के द्वारा दस्तावेज प्रदर्श पी–2 सी प्ररूप–4–ख–एक ग्राम पंचायत के सरपंच का निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा दिया जाना वाला शपथपत्र का अवलोकन किया, उक्त शपथपत्र के कंडिका 02 (एक)(दो)(तीन)(चार) जिसमें अपराधिक प्रकरणों का विवरण दिया जाना था, जिसे निरंक भरा गया है, जबकि प्रकरण में संलग्न दस्तावेज प्रदर्श पी–4 सी के पृष्ठ कमांक 08 से 16 में उत्तरवादी कमांक 02 श्री अरूण गौतम के विरूद्ध विभिन्न अपराधिक प्रकरण के संबंध में दर्ज प्रथम सूचना प्रतिवेदन, माननीय व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन कीमिनल याचिका कमांक आर.सी.सी/11256/2019 का अवलोकन किया गया उत्तरवादी कमांक 02 श्री अरूण गौतम ने अपने शपथ पत्र की कंडिका 2(चार) में स्वयं के विरुद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों की जानकारी को शून्य/निरंक दर्शाया है, जबकि वास्तव में उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 11256/2019 (धारा 147, 148, 149, 307, 323, 294, 506 भा.दं.वि.) जिला न्यायालय दुर्ग में प्रकरण विचाराधीन है। छत्तीसगढ़ पंचायतों के निर्वाचन की विहित प्रक्रिया नियम, 1995 के नियम 31(क) के अनुसार, किसी भी प्रत्याशी के लिए अपने विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों (जिनमें संज्ञान लिया जा चुका हो) की सही जानकारी देना अनिवार्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स** के मामले में यह व्यवस्था दी गई है कि मतदाता को अपने उम्मीदवार के आपराधिक इतिहास के बारे में जानने का मौलिक अधिकार है तथा छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 31(क) के अनुसार, प्रत्याशी के लिए लंबित आपराधिक प्रकरणों (जिनमें संज्ञान लिया जा चुका हो) की सही जानकारी देना अनिवार्य है। उत्तरवादी कमांक 02 श्री अरूण गौतम के द्वारा जानबूझकर धारा 307 (हत्या का प्रयास) जैसे गंभीर मामले की जानकारी छिपाना भ्रष्ट आचरण (Corrupt Practice) की श्रेणी में आता है। ऐसा दमन निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को दूषित करता है। अतः उत्तरवादी क्रमांक 2 का नामांकन पत्र ही दोषपूर्ण था, जिसे रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निरस्त किया जाना चाहिए था।

8. याचिकाकर्ता के द्वारा उत्तरवादी कमांक 02 का निर्वाचन निरस्त करने के उपरांत द्वितीय प्रत्याशी के रूप में उन्हे विजयी घोषित करने की मांग की गई है। ग्राम पंचायत समोदा के सरपंद पद हेतु निर्वाचन के दौरान याचिकाकर्ता श्रीमती भुनेश्वरी देशमुख को कुल 741 मत प्राप्त हुए थे तथा उत्तरवादी कमांक 02 श्री अरूण गौतम को कुल 869 मत प्राप्त हुए थे इस तरह श्री अरूण गौतम 128 मतों से निर्वाचित हुए है। याचिकाकर्ता एवं उत्तरवादी कमांक 02 के मध्य मतों का अंतर 100 से अधिक का है और जनता ने स्पष्ट बहुमत उत्तरवादी कमांक 02 के पक्ष में दिया गया है, ऐसी स्थिति में जनमत का सम्मान करते हुए उत्तरवादी कमांक 02 का निर्वाचन निरस्त होने के उपरांत ग्राम समोदा में सरपंच के रिक्त पद हेतु छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग को सूचना प्रेषित करते हुए ग्राम में पुनः निर्वाचन कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रकरण में पाये गये उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित वाद बिंदु पर निम्नानुसार निष्कर्ष पाये गये:–

अनुविभागीय अधिकारी (रा.,

कमांक	वाद बिंदु	निष्कर्ष
01	क्या उत्तरवादी क्रमांक 02 (श्री अरूण गौतम) ने अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथपत्र में जिला न्यायालय में लंबित अपने विरूद्ध आपराधिक प्रकरण की जानकारी छिपाई गई है ?	हॉ
02	क्या उत्तरवादी क्रमांक 02 (श्री अरूण गौतम) द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथपत्र में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर झूठा है और क्या वह छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 31(क) के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले शपथपत्र में सत्य जानकारी देने के वैधानिक दायित्व का उल्लंघन किया है ?	हॉ
03	क्या रिटर्निंग ऑफिसर (उत्तरवादी क्रमांक 01) द्वारा याचिकाकर्ता की लिखित आपत्ति और साक्ष्यों (न्यायालयीन दस्तावेजों) को नजर अंदाज कर नाम निर्देशन पत्र स्वीकार करना नियम विरूद्ध था ?	हॉ
04	क्या उत्तरवादी क्रमांक 02 (श्री अरूण गौतम) द्वारा दी गई असत्य जानकारी के कारण छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 122 के तहत दिनांक 17.02.2025 को संपन्न चुनाव और 18.02.2025 को घोषित चुनाव परिणाम को शून्य (Void) घोषित किया जाना चाहिए ?	हॉ
05	क्या निर्वाचन परिणाम शून्य घोषित होने की स्थिति में याचिकाकर्ता को सरपंच पद हेतु विजयी घोषित किये जाने हेतु कोई वैधानिक आधार है ?	नहीं
06	क्या याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत चनाव याचिका छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 122 (2) में चुनाव याचिका प्रस्तुत करने हेतु विहित नियत समयावधी में पश्चात् प्रस्तुत किया गया है ?	हॉ

इस प्रकार उक्त वाद बिंदु कमांक 01,02,03,04,06 का निष्कर्ष उत्तरवादी कमांक 02 श्री अरूण गौतम के पक्ष में नहीं होना पाया जाता है तथा वाद बिंदु कमांक 05 याचिकाकर्ता के पक्ष में नहीं होना पाया जाता है।

अतः छ.ग.पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 122 में प्रदत्त शक्तियों के तहत् एतद् द्वारा मैं निम्नानुसार आदेश पारित करता हूॅ :-

(01) उत्तरवादी क्रमांक 02 श्री अरुण गौतम द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में तथ्यों को जानबुझकर छिपाये जाने की पुष्टि होती है, अतः उनका नामांकन दूषित मानते हुए उत्तरवादी क्रमांक 02 श्री अरुण गौतम का ग्राम पंचायत समोदा के सरपंच पद पर हुआ निर्वाचन एतद् द्वारा शून्य (Void) घोषित किया जाता है।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
दुर्ग (छ.ग.)

(02) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत दुर्ग को निर्देशित किया जाता है कि वे रिक्त हुए सरपंच पद के लिए पुनः निर्वाचन (Bye-election) की प्रक्रिया हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को प्रतिवेदन प्रेषित करें।
(03) याचिकाकर्ता द्वारा जमा प्रतिभूति राशि 500/– रुपये नियमानुसार वापस की जाए।

यह आदेश आज दिनांक 05/05/2026 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के सील मुहर से पारित एवं उद्घोषित किया गया ।

(हरवंश सिंह मिरी) 5/05/26
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
एवं विहित प्राधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)